








सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन/मूल्यांकन

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 7 (1) के तहत विशेषज्ञ समूह के द्वारा अंकन/मूल्यांकन रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है।

1. अपेक्षक निकाय के द्वारा आमदी-सड़ौली मार्ग के सड़ौली नाला पर पुलमय पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु ग्राम-आमदी (म) में स्थित निजी भूमि रकबा 0.50 हेक्ट. का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।
2. परियोजना स्थल का दौरा एवं ग्राम में जन सुनवाई हेतु ग्राम सभा का आयोजन कर कार्य के संबंध में अवगत कराया गया।
3. प्रभावित क्षेत्र में निजी और शासकीय मकान प्रभावित नहीं हो रहा है।
4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रकार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. जन सुनवाई के दौरान ग्राम-आमदी (म) में भू-अर्जन से प्रभावित कृषकों के द्वारा शीघ्रतापूर्वक मुआवजा राशि प्रदान करने हेतु मांग की गई। जिसका की नियमानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही पश्चात् मुआवजा भुगतान किया जावेगा।
6. ऐसे परिवारों की संख्या का प्राक्कलन जो अर्जन से प्रभावित हैं, अपेक्षक निकाय के द्वारा तैयार किया गया है।
7. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कृषकों की संख्या-10 एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कृषकों की संख्या- निरंक
8. ग्राम की कुल जनसंख्या-1386
9. कृषकों की संख्या-
 1. लघु कृषकों की संख्या-42
 2. सीमांत कृषकों की संख्या-28
10. परियोजना की कुल लागत-453.85 लाख प्रशासकीय स्वीकृति।
11. परियोजना से होने वाला लाभ- यातायात सुगम एवं वर्षा ऋतु में बाढ़ से होने वाली बाधा से मुक्ति।

12. निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा अन्य परिसम्पत्ति जो अर्जन से प्रभावित है। का विवरण प्रकरण में संलग्न किया गया है।
13. इस परियोजना से पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।
14. अर्जित किये जाने वाला क्षेत्र प्रस्तावित परियोजना के लिए न्यूनतम क्षेत्र है तथा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
15. ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है जिसका उस क्षेत्र में पूर्व में कोई अर्जन किया गया हो।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार के पश्चात् विशेषज्ञ समूह के द्वारा यह अनुशंसा की जाती है की प्रस्तावित भू-अर्जन का उद्देश्य विधि सम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है, जिसकी परियोजना के लिए आवश्यकता है। अतः प्रकरण में आगे की कार्यवाही किया जावें।

गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक- 1		2	
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ-	1 	2	
स्थानीय निकाय से प्रतिनिधि	1  ग्राम पंचायत अस्पति न जनपद पंचायत गरियान जिला-गण्डा	2	
योजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ -			 (Indraj Singh) S.D.O. P.H.D. Gonda Sd/-r. Gankh